कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक B/1257 /एक–15–1/96 शिवपुरी, दिनांक 12 /04/2024

प्रतिलिपि यथाआदेश :–

श्री सज्जन सिंह सिसौदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर आपके न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 396 दिनांक 08.04.2024 से प्राप्त संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष–2024 माननीय प्रधान जिला जज महोदय के अनुमोदन उपरांत मूलतः सादर प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवपुरी, म0प्र0।

।। न्यायालय : सज्जन सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म0प्र0)।।

क्रमांकः शिवपुरी, दिनांक .....

।। संशोधित आदेश ।।
—:: आपराधिक कार्य विभाजन वर्ष 2024 ::—

मैं सज्जन सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म0प्र0) माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–14 एवं 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में किये गये संशोधन आदेशों को निरस्त करते हुये वर्ष 2024 के लिये जिला शिवपुरी में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार समान आपराधिक कार्य विभाजन करने हेतु उनके मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन कर क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं निम्नानुसार निश्चित करता हूँ :–

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1.	2.	3.	4.
1.	सज्जन सिंह सिसोदिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी (म0प्र0)	**संपूर्ण न्यायिक जिला शिवपुरी आरक्षी केन्द्र** **1. कोतवाली।** **2. जी.आर.पी।** **3. यातायात।** **4. आबकारी वृत्त शिवपुरी।** **5. फिजीकल**	1. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जी.आर.पी., यातायात एवं आबकारी वृत्त शिवपुरी, फिजीकल **(विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर)** के अंतर्गत उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक विविध कार्यवाहियां। 2. शिवपुरी जिले से कारखाना एवं श्रम अधि0 से संबंधित विशेष न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय के द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त प्रकरण। 3. तहसील शिवपुरी के वन विभाग एवं खनिज विभाग से उदभूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. जिला शिवपुरी की तहसील शिवपुरी, करैरा, कोलारस, पोहरी, पिछोर एवं खनियांधाना के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न खारजी (ई.आर.)। 5. नगर पालिका क्षेत्र शिवपुरी के अंतर्गत नगर पालिका अधि0 के अंतर्गत समस्त दांडिक प्रकरण। 6. अतिरिक्ति परिवहन अधिकारी शिवपुरी द्वारा

			प्रस्तुत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण तथा धारा 194 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिसमें क्षमता से 8 टन भार से अधिक से संबंधित प्रकरण। 7. आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं जी.आर.पी. अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 8. सिनेमेटोग्राफी अधिनियम एवं कॉपीराइट अधिनियम के सम्पूर्ण राजस्व जिला शिवपुरी से उद्भूत समस्त प्रकरण। 9. ईनामी चिट और परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के सम्पूर्ण जिला शिवपुरी से उद्भूत समस्त प्रकरण। 10. नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। 11. समस्त जिला शिवपुरी के किसी भी थाना क्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के मोटरयान अधिनियम अथवा अन्य विविध अधिनियम के अंतर्गत चलित न्यायालय का आयोजन। 12. सम्पूर्ण शिवपुरी जिला से संबंधित ऐसे प्रकरण जो केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। 13. ऐसे समस्त प्रकरण जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है। 14. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी द्वारा अंतरित समस्त प्रकरण।
2.	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी (म.प्र.)	**आरक्षी केन्द्र** **1. सतनबाड़ा** **2. देहात**	1. आरक्षी केन्द्र सतनबाड़ा एवं देहात के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 3. आरक्षी केन्द्र सतनबाड़ा एवं देहात अंतर्गत

			उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधी एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 4. आरक्षी केन्द्र देहात एवं सतनबाड़ा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
3.	श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी (म.प्र.)	**आरक्षी केन्द्र 1 सुभाषपुरा,**	1. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा की स्थानीय सीमा के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
4.	कु0 प्रत्यक्षा कुलेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी		1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
5.	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी		1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।

6.	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. गोपालपुर** **2.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी** **3. बम्हारी**	**1.** आरक्षी केन्द्र गोपालपुर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी एवं बम्हारी के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र **गोपालपुर** अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, फिजीकल शिवपुरी, गोपालपुर एवं बम्हारी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
7.	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. सुरवाया** **2. महिला थाना**	1. आरक्षी केन्द्र सुरवाया एवं महिला थाना की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रां को छोड़कर) 2. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों द्व ारा उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण **(जिनमें व्यथित/पीड़ित महिला हो)** उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांसिक/विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां। 3. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. आरक्षी केन्द्र सुरवाया के अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।

			5. आरक्षी केन्द्र सुरवाया की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
8.	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. सिरसौद**	1. आरक्षी केन्द्र सिरसौद के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन(एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र सिरसौद अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. आरक्षी केन्द्र सिरसौद की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. तहसील शिवपुरी के समस्त **रिक्त न्यायालय** जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिवपुरी एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी के न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारंट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका निराकरण करेंगे। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
9.	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी,	**आरक्षी केन्द्र** **1. छर्च,** **2. गोवर्धन,** **3. पोहरी**	1. आरक्षी केन्द्र छर्च, गोवर्धन, पोहरी एवं बैराड़ के अंतर्गत उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, निजी परिवाद पत्र अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।

	जिला–शिवपुरी	**4. बैराड़, 5.आबकारी (वृत्त पोहरी)**	**2.** आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त पोहरी के द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. तहसील पोहरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के द्वारा उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों जिनमें **व्यथित/पीड़ित महिला** हो, से संबंधित अभियोग पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। 4. तहसील पोहरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. तहसील पोहरी के नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। 6. तहसील पोहरी के वन विभाग एवं खनिज विभाग से उदभूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. आरक्षी केन्द्र पोहरी, बैराड, छर्च एवं गोवर्धन की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 8. आरक्षी केन्द्र छर्च, गोवर्धन, पोहरी एवं बैराड के अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 9. आरक्षी केन्द्र छर्च, गोवर्धन, पोहरी एवं बैराड़ के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्टेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 10. आरक्षी केन्द्र छर्च, गोवर्धन, पोहरी एवं बैराड़ से उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां। 11. तहसील पोहरी के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी पोहरी एवं अतिरिक्त मुख्य

			न्यायिक मजिस्ट्रेट पोहरी के **रिक्त न्यायालयों** में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका विधिवत निराकरण करेंगे। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुषांगिक कार्यवाहियां।
10.	श्री प्रशांत पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	**आरक्षी केन्द्र** **1. कोलारस,** **2. बदरवास,** **3.आबकारी (वृत्त कोलारस)**	1. आरक्षी केन्द्र कोलारस एवं बदरवास के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/ विविध कार्यवाहियां। 2. तहसील कोलारस के नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/ विविध कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र कोलारस एवं बदरवास के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 4. तहसील कोलारस एवं बदरवास के वन विभाग एवं खनिज विभाग से उदभूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. आरक्षी केन्द्र कोलारस एवं बदरवास की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामलें एवं अनुसांगिक/विविध कार्यवाहियां। 6. आरक्षी केन्द्र कोलारस एवं बदरवास की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।

11.	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस	**आरक्षी केन्द्र** **1. इंदार** **2. रन्नौद** **3. तेंदुआ**	1. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवादपत्र, निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। 2. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. आरक्षी केन्द्र इंदार, रन्नौद एवं तेंदुआ की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामलें एवं अनुसांगिक/विविध कार्यवाहियां। 5. तहसील कोलारस के समस्त आरक्षी केन्द्रों द्व ारा उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों जिनमें **व्यथित /पीड़ित महिला** हो, उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। 6. तहसील कोलारस के समस्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. तहसील कोलारस के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न समस्त अनुषांगिक आवेदन पत्र एवं कार्यवाहियां। 8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे आनुशांगिक कार्यवाहियां।
12.	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा जिला शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1. करैरा,** **2.आबकारी (वृत्त करैरा)**	1. आरक्षी केन्द्र करैरा के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. तहसील करैरा के नापतौल विभाग, श्रम विभाग,

			खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। 3. आबकारी वृत्त करैरा के आबकारी विभाग के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 4. तहसील करैरा के वन विभाग एवं खनिज विभाग से उद्भूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. आरक्षी केन्द्र करैरा के स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 6. आरक्षी केन्द्र करैरा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
13.	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला–शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र** **1.अमोला** **2.नरवर**	1. आरक्षी केन्द्र अमोला एवं नरवर के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र अमोला एवं नरवर के स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र अमोला एवं नरवर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।

14.	श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	**आरक्षीकेन्द्र दिनारा**	1. आरक्षी केन्द्र दिनारा के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र निजी परिवाद पत्र और उनसे अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) एवं आरक्षीकेन्द्र दिनारा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न निजी परिवाद पत्र। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र दिनारा के स्वापक औषधियां और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र दिनारा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. तहसील करैरा के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी करैरा एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करैरा के **रिक्त न्यायालयों** में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका विधिवत निराकरण करेंगे। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
15.	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	**आरक्षी केन्द्र** **1. सीहोर**	1. आरक्षी केन्द्र सीहोर के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोगपत्र/परिवादपत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/ विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र सीहोर के स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के

			न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र सीहोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. तहसील करैरा के समस्त आरक्षी केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों **(जिनमें व्यथित/पीड़ित महिला)** हो उनके अभियोग पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां। 5. तहसील करैरा के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 6. तहसील करैरा के समस्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत धारा 125 दं.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आवेदन पत्र तथा उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
16.	श्री अमन दीप सिंह छावड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	**आरक्षीकेन्द्र** **1.पिछोर,** **2.आबकारी** **(राजस्व तहसील पिछोर के अंतर्गत उत्पन्न मामले)**	1. आरक्षी केन्द्र पिछोर के अंतर्गत एवं उससे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.)। 2. आरक्षी केन्द्र पिछोर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न स्वापक औषधियां और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. आरक्षी केन्द्र पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. नापतौल विभाग,श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा

			सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवादपत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। **5.** आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त पिछोर **(राजस्व तहसील पिछोर की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न मामले)** के द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 6. तहसील पिछोर के वन विभाग एवं खनिज विभाग से उदभूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 7. आरक्षी केन्द्र पिछोर (राजस्व तहसील पिछोर की सीमाओं के अंतर्गत) के अंतर्गत उत्पन्न धारा 125 द.प्र.सं.1973 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 8. तहसील पिछोर के समस्त आरक्षीकेन्द्र के महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों **(जिनमें व्यथित/पीड़ित महिला हो)**, उनके अभियोग पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। 9. तहसील पिछोर के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 10. तहसील पिछोर के समस्त आरक्षीकेन्द्र के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामले एवं उत्पन्न अनुशांगिक कार्यवाहियां। 11. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
17	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	**आरक्षी केन्द्र** **1. भौंती** **2.मायापुर** **(राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)**	1. आरक्षी केन्द्र भौंती एवं मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) के अंतर्गत एवं उससे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, निजी परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 2. आरक्षी केन्द्र भौंती एवं मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न स्वापक औषधियां और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक

			मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के मामले। 3. तहसील पिछोर के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी पिछोर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिछोर के **रिक्त न्यायालयों** में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के संबंध में जारी किये गये स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट, अर्थदण्ड की वसूली, प्रतिकर की अदायगी तथा माननीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आपराधिक प्रकरणों की कार्यवाही तथा इसी प्रकार की समस्त आपराधिक कार्यवाहियां होने पर उसका विधिवत निराकरण करेंगे। 4. आरक्षी केन्द्र भौंती एवं मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) के अंतर्गत धारा **138** परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांगिक कार्यवाहियां। 5. आरक्षी केन्द्र भौंती, मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की सीमाओं के अंतर्गत) के अंतर्गत उत्पन्न धारा 125 द.प्र.सं.1973 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।
18.	श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियांधाना	**आरक्षीकेन्द्र** **1. खंनियांधाना** **2. बामौरकलां** **3. मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)** **4.<u>आबकारी</u> (राजस्व तहसील खनियाधाना के अंतर्गत उत्पन्न मामले)**	1. आरक्षी केन्द्र खनियांधाना, पुलिस थाना बामौरकलां एवं पुलिस थाना मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की सीमाओं के अंतर्गत) एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र और उनसे उत्पन्न अनुशांगिक/विविध कार्यवाहियां और अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 2. तहसील खनियांधाना के समस्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत नापतौल विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और ऐसे विभागों के निरीक्षकों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांगिक/विविध कार्यवाहियां। 3. आरक्षी केन्द्र खनियांधाना, बामौरकला एवं मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की सीमाओं के अंतर्गत) के स्वापक औषधिया और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

			विचारणीय अपराध के मामले। 4. तहसील खनियाधाना के समस्त आरक्षी केन्द्रों के द्वारा उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों जिनमें **व्यथित/पीड़ित महिला** हो, से संबंधित अभियोग पत्र और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक एवं विविध कार्यवाहियां। 5. मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां। **7.** आरक्षी केन्द्र आबकारी वृत्त खनियाधाना **(राजस्व तहसील खनियाधाना की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न मामले)** के द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 8. पुलिस थाना खनियांधाना, बामौर कलां एवं मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की सीमाओं के अंतर्गत) की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न निजी परिवाद पत्र। 9. पुलिस थाना खनियांधाना, बामौर कलां एवं मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) उत्पन्न धारा **138** परक्राम्य **लिखत अधिनियम** 1881 के अंतग्रत अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांगिक कार्यवाहियां। 10. आरक्षी केन्द्र खनियांधाना, बामौर कलां एवं मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत) उत्पन्न धारा 125 दंड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांगिक कार्यवाहियां। 11. तहसील खनियांधाना के वन विभाग एवं खनिज विभाग से उदभूत समस्त आपराधिक परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 12. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किए गए और निर्देशित किए गए आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न आनुशांगिक कार्यवाहियां।

//सामान्य आदेश//

1. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष यह आदेश जारी किये जाने से पूर्व ही परिवाद पत्र लंबित है तथा परिवाद पत्र दर्ज किये जाने हैं तब उक्त परिवाद पत्र पर उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा आगामी कार्यवाही की जावेगी, जिनके समक्ष पूर्व से ही उक्त परिवाद पत्र पंजीयन हेतु लंबित हैं।
2. आपराधिक कार्य–विभाजन पत्रक में किसी उपबंध के होते हुए भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को सम्पूर्ण शिवपुरी जिले के किसी भी आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले अथवा किसी भी विभाग के क्षेत्राधिकार के मूल दाण्डिक प्रकरण अथवा विविध दाण्डिक प्रकरण अथवा अन्य कार्यवाहियों में संज्ञान, विचारण एवं जांच का क्षेत्राधिकार होगा।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी संपूर्ण शिवपुरी जिले में सत्र न्यायाधीश महोदय को पूर्व सूचना देकर समय–समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
4. मान्नीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1743 जबलपुर दि0 04.05.16 के पालन में वन और खनिज के संबंध में तथा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/384/।।।–6–6/84 जबलपुर दिनांक 09.01.14 के परिपालन में महिला अपराध के संबंध में कार्य वितरण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी के निर्देश के अधीन है।
5. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने–अपने थाना क्षेत्रों से माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को पूर्व सूचना देकर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी को सूचित कर समय–समय पर चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
6. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 167 की उपधारा 2 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत पुलिस रिमांड स्वीकार करने के आदेश की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रेषित करेंगे।
7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उपार्पण प्रकरणों को शीघ्रतम अवधि में अथवा यथासंभव उसी दिन जिस दिन अभियोग पत्र प्रस्तुत होता है, माननीय सत्र न्यायालय को प्रकरण उपार्पित करेंगे और प्रकरण उपार्पण करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण के सभी अभियुक्तगण को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां प्रदाय की जा चुकी हैं तथा निरोध की अवधि की धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जा चुका है। उसी के साथ–साथ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपार्पित करते समय उक्त संपत्ति भी विचारण में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके।
8. इस कार्य विभाजन पत्रक का कोई प्रभाव पूर्व से किसी न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अपंजीकृत परिवाद पत्रों पर नहीं पड़ेगा, परन्तु जिन मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनके रिमाण्ड पेपर संबंधित मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को तत्काल प्रेषित करेंगे।
9. किसी भी न्यायालय के अत्यावश्यक कार्यों में जो किसी न्यायालय के अवकाश पर रहने या न्यायालय रिक्त होने की दशा में उस न्यायालय के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जावेगा उसमें सुपुर्दगी आवेदनों का निराकरण जमानत

आवेदनों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण के ऐसे प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें आरोपी द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति की जा रही हो, ऐसे प्रकरण प्रभारी न्यायालय के द्वारा ही निराकृत किये जायेंगे, अत्यावश्यक कार्यों में ऐसे अभियोग पत्रों को भी गृहण करना और प्राप्त करना, सम्मिलित होगा, जिनमें 60 दिन अथवा 90 दिवस की अपेक्षित विधिक परिसीमा का अवसान हो रहा है।

10. जिला मुख्यालय पर प्रत्येक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर 04 बजे से लेकर 05 बजे तक निष्पादित किये जाने हेतु रिमाण्ड ड्यूटी आदेश पृथक से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी द्वारा जारी किया जावेगा।
11. सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय या मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है, तो उस स्थिति में तहसील मुख्यालय में पदस्थ मजिस्ट्रेटगण अपने क्रमानुसार एवं आवश्यक सामंजस्य से घोषित अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य संपादित करेंगें।
12. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश आकस्मिक अवकाश अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत् जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है। इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
13. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्जित अवकाश अथवा लघुकृत अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है अथवा अपरिहार्य कारणवश कोई कार्य दिवस अवकाश के रूप में घोषित होने वाले उक्त अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिसने उसके पूर्व अंतिम अवकाश की रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की थी और इसके लिए पृथक से कोई आदेश जारी नहीं होगा। यदि इसी परिस्थिति के संबंध में पृथक से जारी किये गये रिमाण्ड ड्यूटी आदेश में कोई आदेश किया गया है तो उक्त आदेश अधिभावी होगा।
14. विशेष अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय के रिमाण्ड, जो विशेष अधिनियम से संबंधित हैं, में प्रथम रिमाण्ड जे.आर/पी.आर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकेगा तथा द्वितीय रिमाण्ड हेतु संबंधित माननीय विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में रिमाण्ड प्रपत्र तत्काल भेजे जावेंगे। यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे रिमाण्ड में अवकाश के दिन की तारीख न दी जावे।
15. धारा 34 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम और अजा एवं अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गिरफतार आरोपीगण को अवकाश के दिनों में संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा उन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट या उस मुख्यालय पर रिमाण्ड डयूटी कर रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही पेश किया जावेगा।
16. जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला जज महोदय से अनुमति प्राप्त कर एवं पूर्व अवकाश स्वीकृत कराए बिना तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना

आवेदन पत्र की प्रतिलिपि प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी दी जावे।

17. तहसील शिवपुरी एवं तहसील करैरा/पिछोर/कोलारस/खनियांधाना/पोहरी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का जो **सिविल पद** पूर्व में धारित रहा है उसी सिविल पद पर नवीन कोई पीठासीन अधिकारी के पदस्थ न होने की दशा में ही ऐसा न्यायालय आपराधिक कार्य हेतु **रिक्त न्यायालय** माना जावेगा।
18. तहसील शिवपुरी एवं तहसील करैरा/पिछोर/कोलारस/खनियांधाना/पोहरी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के जिन न्यायालयों में पूर्व में पीठासीन अधिकारी के **स्थानांतरण या रिक्त होने के उपरांत** उसी न्यायालय में उसी पद पर नवीन पीठासीन अधिकारी की स्थापना हो चुकी है वह **रिक्त न्यायालय** नहीं माना जावेगा।
19. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–164 के अंतर्गत संस्वीकृतियों और कथनों का अभिलेखन संलग्न **अनुसूची कमांक 01** अनुसार किया जावेगा।
20. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में आवश्यक कार्यभार **अनुसूची कमांक 02** के अनुसार कार्य संपादित करेंगे।
21. **माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तहसील शिवपुरी एवं करैरा ग्रामीण क्षेत्र के वे सभी प्रकरण जो उक्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम न्यायालयों के द्वारा विचारण योग्य है, वे सभी प्रकरण ग्राम न्यायालयों के समक्ष ही प्रस्तुत किये जावेंगे।**
22. **ग्राम न्यायालय शिवपुरी के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में सूची कमांक 02 के अनुसार ग्राम न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन का निराकरण किया जावेगा।**
23. **ग्राम न्यायालय करैरा के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर/पद रिक्त होने पर/अनुपस्थित रहने की दशा में सूची क0 02 अनुसार ग्राम न्यायालय के अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन का निराकरण किया जावेगा।**

- इस कार्य विभाजन आदेश के प्रसारित होने पर पूर्व में प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश उन विषयों के संबंध में जिनके संबंध में इस आदेश में नवीन व्यवस्था की गई है, उनके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा उन विषयों के संबंध में जिनका इस आदेश में उल्लेख करना रह गया है पूर्व में प्रसारित आदेश का अनुसरण किया जा सकेगा।
- यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 12.04.2024 से प्रभावशील होगा।

12/4/2024

सज्जन सिंह सिसोदिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी (म0प्र0)

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

:: कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी, जिला—शिवपुरी (म.प्र.)::

//अनुसूची कमांक 01//

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164 के अधीन साक्षीगण एवं अभियुक्तों के कथन एवं संस्वीकृति को लेखबद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है : —

क	आरक्षी केन्द्र	प्रथम प्रभारी न्यायालय का नाम	द्वितीय प्रभारी न्यायालय का नाम	तृतीय प्रभारी न्यायालय का नाम	चतुर्थ प्रभारी न्यायालय का नाम
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**
1.	**अ.** कोतवाली **ब.** बम्हारी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेण ी शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
2.	अ. देहात ब. फिजिकल स. सतनबाड़ा	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
3.	अ. महिला थाना ब. सिरसौद स. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी शवपुरी
4.	अ. गोपालपुर ब. सुरवाया स. जी.आर.पी.	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी
5.	**अ.** पोहरी **ब.** बैराड	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
6.	**अ.** छर्च **ब.** गोवर्धन	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी

7.	**अ.** कोलारस **ब.** बदरवास	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
8.	**अ.** रन्नौद **ब. इंदार** स. तेंदुआ	श्री प्रशांत पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
नोटः— आरक्षी केन्द्र **<u>कोलारस, बदरवास, रन्नौद, इंदार एवं तेंदुआ</u>** के उन आपराधिक प्रकरणों में जिन में महिला अपराध कारित हुआ है तथा जिनका अभियोग पत्र श्रीमती रजनी मीरोठा जे0एम0एफ0सी0 कोलारस के न्यायालय में प्रस्तुत होना है, उन अपराधों के संबंध में धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत संस्वीकृति/कथन श्री प्रशांत पाण्डेय जे0एम0एफ0सी0 कोलारस के द्वारा ही प्रथम प्रभारी के रूप में लेखबद्ध किये जायेंगे, यदि किसी कारण से प्रथम प्रभारी उपलब्ध नहीं है तो उसके पश्चात क्रमांक 08 के कॉलम नं0 05 एवं 06 में वर्णित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष लेखबद्ध किये जायेंगे।					
09	**अ.** करैरा **ब.** सीहोर	श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर
10	**अ.** नरवर **ब.** दिनारा	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर
11	अ. अमोला	सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर
नोटः— आरक्षी केन्द्र **<u>अमोला</u>** के उन आपराधिक प्रकरणों में जिन में महिला अपराध कारित हुआ है तथा जिनका अभियोग पत्र सुश्री काजल रेनीवाल जे0एम0एफ0सी0 करैरा के न्यायालय में प्रस्तुत होना है, उन अपराधों के संबंध में धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत संस्वीकृति/कथन श्री श्रीकृष्ण बुखारिया जे0एम0एफ0सी0 करैरा के द्वारा ही प्रथम प्रभारी के रूप में लेखबद्ध किये जायेंगे, यदि किसी कारण से प्रथम प्रभारी उपलब्ध नहीं है तो उसके पश्चात क्रमांक 11 के कॉलम नं0 05 एवं 06 में वर्णित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष लेखबद्ध किये जायेंगे।					

12	**अ.** खनियांधाना **ब.** बामौरकलां **स.**मायापुर (राजस्व तहसील खनियांधाना की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर	सुश्री नेहा प्रजापति मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर	सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
13	**अ**. भौंती **ब**.मायापुर (राजस्व तहसील पिछोर की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत)	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर	श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियांधाना	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
नोटः– आरक्षी केन्द्र **<u>भौंती एवं मायापुर</u>** के उन आपराधिक प्रकरणों में जिन में महिला अपराध कारित हुआ है तथा जिनका अभियोग पत्र श्री अमनदीप सिंह छावड़ा जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के न्यायालय में प्रस्तुत होना है, उन अपराधों के सबंध में धारा 164 द0प्र0सं0 के अंतर्गत संस्वीकृति/कथन सुश्री नेहा प्रजापति जे0एम0एफ0सी0 पिछोर के द्वारा ही प्रथम प्रभारी के रूप में लेखबद्ध किये जायेंगे, यदि किसी कारण से प्रथम प्रभारी उपलब्ध नहीं है तो उसके पश्चात कमांक 13 के कॉलम नं0 04, 05 एवं 06 में वर्णित पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष लेखबद्ध किये जायेंगे।					
14	**अ**. पिछोर	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर	श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियांधाना	श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा

नोटः– प्रथम प्रभारी के अवकाश पर होने पर यदि अन्वेषण के बाद अभियोग पत्र द्वितीय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत होना है तो ऐसी स्थिति में संस्वीकृति/कथन तृतीय प्रभारी के द्वारा लेखबद्ध किये जावेंगे। यदि तृतीय एवं चतुर्थ प्रभारी भी अवकाश पर है/किसी भी कारण से मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में संस्वीकृति/कथन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा (जिसके समक्ष उक्त अपराध से संबंधित अभियोगपत्र प्रस्तुत नहीं होना है) लेखबद्ध किये जायेंगे जो कि आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार उक्त तृतीय प्रभारी के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

नोटः– यदि अनुसूची 01 के कॉलम नंबर 04 या 05 में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के समक्ष ही कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार अभियोग पत्र प्रस्तुत होना है तब ऐसी दशा में संस्वीकृति/कथन उक्त अनुसूची के आगामी कॉलम में उल्लेखित पीठासीन अधिकारी के द्वारा संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किये जायेंगे। अन्य दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किये जावेगे।

//अनुसूची कमांक 02//

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दांडिक प्रकरणों के अत्यावश्यक कार्य की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–

क.	क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	श्री सज्जन सिंह सिसोदिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
2.	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
3	श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
4.	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
5	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
6	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती अंशुल मंगल निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री सुनीता देवी कोरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी
7	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
8	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री मिताली वाणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी

9	श्री प्रशांत पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्रीमती रजनी मीरोठा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री जितेन्द्र मेहर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
10	श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्री प्रशांत पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
11	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी
12	श्रीमती श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर
13	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर
14	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर
15	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्रीमती श्वेता मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करैरा	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर
16	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
17	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री मोनिका यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा
18	श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियांधाना	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा	सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा

नोट :– उपरोक्त उल्लेखित सभी न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक दांडिक कार्य संपादित करेंगे।

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

3/4/2024
(सज्जन सिंह सिसोदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
शिवपुरी,(म.प्र.)